राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 24/2023 अपील सू.प्र.

उनवान

राजेश कुमार कोली पुत्र डालचंद निवासी कोली मोहल्ला, भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक :21.07.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 27.04.2023 को प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 60एफ 549700 के साथ एक आवेदन दिनांक 15.02.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.05.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सूचना प्रकोष्ठ/2023/20145 दिनांक 06.06.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना/जवाब लोक सेवा प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा के पत्रांक 98094 दिनांक 23.02.2023 द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गई।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते